न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 152/2022 निर्णय दिनांक 28.12.2022

ऑनलाईन नंबर 2022/158

कन्हैयालाल पुत्र गिरधारीलाल जाति मेघवाल निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–प्रार्थी–

बनाम

1. रामावतार पुत्र सम्पतराम जाति खाती निवासी वार्ड नंबर 13 श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–

1. श्री कैलाश सारस्वत अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री ओमप्रकाश पंवार अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी संशोधन अधिनियम</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम से रोही सालासर में खेत खसरा नंबर 777/299 तादादी 2.5550 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसका रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नंबर 722/300 तादादी 0.4200 हैक्टेयर में से होकर जाता है जो श्रीडूंगरगढ़ से बीदासर सड़क से फटकर अप्रार्थी के खेत के उतरी भाग से होते हुए प्रार्थी के खेत में प्रवेश करता है। जिसकी दूरी लगभग 10 मीटर लम्बाई एवं 5 मीटर चौड़ाई है जो रास्ता अप्रार्थी के खेत में से शुरू से ही चला आ रहा है इसी रास्ते से फटकर अप्रार्थी के खेत में से गुजरता है उक्त रास्ता श्रीडूंगरगढ़ से बीदासर सड़क के रास्ते से फंटकर अप्रार्थी के खेत में से गुजरता है उक्त रास्ता शुरू से ही चला आ रहा है प्रार्थी के खेत का यही एकमात्र रास्ता है जिससे प्रार्थी अपने खेत में आता जाता है। यह है कि उक्त खेत में प्रार्थी का विधमान रास्ता है जिसकी चौड़ाई 5 मीटर एवं लम्बाई 10 मीटर है प्रार्थी का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नंबर 722/300 तादादी 0.4200 हैक्टेयर रोही सालासर के श्रीडूंगरगढ़ से बीदासर सड़क से फंटकर अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में से होता हुआ प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 777/299 तादादी 2.5550 हैक्टेयर, रोही सालासर में प्रवेश करता है। उक्त रास्ते को दर्शाते हुए नजरी फर्द मौका का नक्शा संलग्न किया जा रहा है जिसमें X से Y श्रीडूंगरगढ़ से बीदासर सड़क है व लाल स्याही से मार्क A से B अप्रार्थी संख्या 1 के खेत से गुजरता हुआ रास्ता है जिसकी लम्बाई 10 मीटर है जो प्रार्थी के खेत में जाता है जो अत्यन्त आवश्यक एवं प्रार्थी के खेत तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है उक्त रास्ता सुविधा का न होकर आवश्यकता का है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी द्वारा अपने खेत तक पहुंचने का अन्य रास्ता नहीं है। यह है कि प्रार्थी के खेतों में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है यही एकमात्र प्रार्थी के आने जाने का एकमात्र रास्ता है जिससे प्रार्थी शुरू से ही इसी रास्ते से होकर अपने अपने खेत में आते जाते हैं। यह है कि प्रार्थी का रास्ता अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.01.06 12:53:24 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 722/300 तादादी 0.4200 हैक्टेयर में से 10 गुणा 5 कुल क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 को रास्ते के क्षेत्रफल की सरकारी डी. एल.सी. दर की दोगुना कीमत अदा करने को तैयार है। यह है कि प्रार्थी इसी रास्ते से आते जाते हैं इसलिए प्रार्थी द्वारा यही रास्ता मांगना आवश्यक एवं मजबूरी है। यह है कि यही एकमात्र एवं अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता होने के कारण प्रार्थी द्वारा कम चौड़ाई के रास्ते की मांग की गई है। यह है कि प्रार्थी की एवं रास्ते की भूमि रोही सालासर में अवस्थित है जो श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमानजी को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार हासिल है। यह है कि प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद एवं पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के नाम से खातेदारी खेत खसरा नम्बर 777/299 तादादी 2.5550 हैक्टेयर रोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नंबर 722/300 तादादी 0.4200 हैक्टेयर में से 10 मीटर लम्बा एवं 5 मीटर चौड़ा कुल 50 वर्गमीटर संलग्न नक्शे में दर्शाये अनुसार रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. कटाणी दर्ज किया का आदेश अप्रार्थी संख्या 3 को फरमाने की कृपा फरमावें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराया जाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों का खंडन करतें हुए निवेदन किया गया कि अप्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा नंबर 722/300 तादादी 0.42 हैक्टेयर वाकेरोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। उक्त भूमि अप्रार्थी के पूर्वजों ने आज से करीबन 80 वर्ष पूर्व खरीद की थी जिस पर अप्रार्थी का शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में गैर मुमकिन रास्ता रिकॉर्ड में नहीं है ना ही मौका पर कोई रास्ता है अप्रार्थी के खेत में से प्रार्थी के खेत में जाने का कोई रास्ता कभी नहीं रहा है। प्रार्थी ने अपने खेत में प्रवेश के लिए सदामद से चल रहे रास्ते का वर्णन जानबूझकर नहीं किया है। प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों ने अपने खेत खसरा नंबर 777/299 तादादी 2.5550 हैक्टेयर में प्रवेश का रास्ता सड़क श्रीडूंगरगढ़ से बीदासर की सड़क से फंटकर खसरा नंबर 290 से होकर अपने खेत में प्रवेश करता है जो सदामद से चला आ रहा है। प्रार्थी इसी रास्ते से अपने खेत में प्रवेश करता उक्त रास्ता प्रार्थी के इसी रास्ता से अपने खेत में प्रवेश करता है उक्त रास्ता प्रार्थी के खेत में प्रवेश के लिए सुगम व नजदीकी रहा है तथा पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थी लालचवश गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी के खेत में से रास्ता कायम करवाकर अपने खेत खसरा नंबर 777/299 में प्रवेश का रास्ता पूर्व में विधमान है। यह है कि मुझ अप्रार्थी संख्या 1 का खसरा नंबर 722/300 तादादी 0.42

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.01.06 12:53:24 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टेयर छोटा टुकड़ा है इस कृषि टुकड़ा में वादगत रास्ता निकलने से हमारा खेत कृषि करने योग्य नहीं रहेगा छोटे छोटे टुकड़े हो जायेंगे जबकि प्रार्थी का वैकल्पिक रास्ता श्रीडूंगरगढ़ से बीदासर सड़क से रास्ता खसरा नंबर 290 से होते हुए प्रार्थी के खेत में जाने का पहले से है। प्रार्थी मेरे खेत को कृषि हेतु नहीं रहे इसलिए मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निर्धारित प्रारूप में पेश नहीं किया गया है इसलिए जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी के साथ इस खसरा नंबर 777/299 में अन्य सहखातेदार भी जिनको प्रार्थी ने इस प्रार्थना–पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आवश्यक पक्षकारों के अभाव में खारिज योग्य है। पूर्व में प्रार्थी का रास्ता अप्रार्थी के खेत से होता तो प्रार्थी बन्द रास्ता को खुलवाने के लिए धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत तहसीलदार के न्यायालय में बंद रास्ता को खुलवाने की कार्यवाही करता इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी अपने खेत में जाने के प्रचलित रास्ता को छुपाकर मुझ अप्रार्थी के खेत के छोटे छोटे टुकड़े को कृषि योग्य नहीं रहने व सड़क से अपने खेत को जोड़ने पर खेत की अच्छी कीमत करने के उद्देश्य से यह गलत प्रार्थना–पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया विधि विरूद्ध होने व मौका स्थिति के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें उभय पक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया जिससे से प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पक्षकारों के कुंसोजन से ग्रसित है। अप्रार्थी संख्या 1 का खसरा नंबर 722/300 तादादी 0.42 हैक्टेयर छोटा टुकड़ा है एवं वादगत रास्ता निकलने से अप्रार्थी संख्या 1 का खेत कृषि करने योग्य नहीं रहेगा एवं अप्रार्थी संख्या 1 का खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जायेगा तहसीलदार श्रीडूंगरगढ ने अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी अपने खेत में से अप्रार्थी के खेत से आता जाता रहा है, अगर वर्तमान में रास्ता बंद है तो तहसीलदार श्रीडूंगरगढ रास्ता खुलवाऐं। प्रचलित रास्ते को खुलवायें जाने हेतु तहसीलदार सक्षम अधिकारी है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आवश्यकता का ना होकर सुविधा का है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 28.12.2022 को मेरे द्वार लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.01.06 12:53:24 IST
Reason: SelfAttested